

अनुमति की शर्तें ।

- (i) एका मकान/भूखण्ड के निर्माण की शीकृति स्वामित्व सिद्ध नहीं करती है ।
- (ii) किसी भी प्रकार का विवाद (स्वामिक, सजातीय, कानूनगत या अन्य) होने की स्थिति में नियम का कोई उल्लंघन नहीं होगा तथा न ही नियम किसी शीकृति के लिए उत्तरदायी होगा ।
- (iii) नवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदक नियम को सुचित करेगा ।
- (iv) स्वीकृत नक्शे के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है ।

एम. ए. डि.डी. केवल आवासीय प्रयोजनार्थ
कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

आवेदन क्रमांक 694 दिनांक 03/09/2020

प्राप्तकर्ता मण्डल सिंह श्री इन्दुमान मण्डल

ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2008

धारा 194 (7) (घ) के तहत आवासीय

नवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश

कर स्वनिर्धारण राशि रुपये 9957/- जमा

जसिये रसीद संख्या 9069/3833, 3834

दिनांक 03/09/2020 को जमा करा दी है ।

P.No:- 23 बी- 109

चौपालकी इण्डिया बॉर्ड

3/9/2020

सहायक नगर निरीक्षक
नगर निगम, जोधपुर

Received by
4/09/2020

पति+
आवासीय